# डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली**
**इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.**

## उनवान

1. मु0 गीता देवी पत्नि रमेशचंद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पटोंदा तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राज0 ———————————— वादिया

## बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, जिला करौली राज0
2. तहसीलदारजी तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली राज0 ————प्रतिवादीगण

**दावा बाबत् इस्तकरार हक, (दुरूस्ती इन्द्राज) एवं स्थायी निषेधाज्ञा** **मुकदमा नं0 81/2015**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू ...... मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक (दुरूस्ती इन्द्राज) एवं स्थायी निषेधाज्ञा आराजी खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.13 है0, 1195 रकबा 14.25 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/8/2025 को यह डिकी जारी की गई।

( हेमराज गुर्जर )
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 81/2015 तारीख रजू:– 22.07.2015

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. मु0 गीता देवी पत्नि रमेशचंद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पटोंदा तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राज0 ———————————— वादिया

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, जिला करौली राज0
2. तहसीलदारजी तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली राज0 ————प्रतिवादीगण

## दावा बाबत इस्तकरारहक(दुरूस्ती इन्द्राज)

## एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादिया

## निर्णय

दिनांक :– 29/8/2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादिया ने दावा बाबत इस्तकरारहक(दुरूस्ती इन्द्राज) एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नम्बर 01 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक ख0नं0 875 रकबा 14 बिस्वा स्थित ग्राम पटोंदा तहसील हिण्डौन जो दिनांक 18.4.1990 से पूर्व भी हीरालाल पुत्र पीतम जाट निवासी पटोंदा की खातेदारी में थी। जिसे वादिया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.4.1990 को कार्यलय सब रजिस्ट्रार हिण्डौन की पुस्तक सं. 1 की जिल्द सं. 39 की पृष्ठ सं. 124 की क्रम सं. 234 पर पंजीबद्ध करवा कर मौके पर उसी दिन कब्जा जमीन पर प्राप्त कर लगातार फसल दर फसल व साल दर साल वादिया उक्त जमीन को बतौर मालिक काश्त करती चली आ रही है।

वाद पत्र के मद नम्बर 02 में दर्ज किया है कि दौराने सेटिलमेन्ट उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 875 रकबा 14 बिस्वा का नवीन ख०नं० 1284 रकबा 13 ऐअर वादिया की खातेदारी में तब्दील कर दिया वादिया के स्वामित्व का 4.5 ऐअर रकबा कम कर दिया, जबकि साबिक के मुताबिक मौजूदा रकबा 14 बिस्वा के बराबर 17.5 ऐअर तरमीम किया जाना न्यायोचित था। इस प्रकार वादिया का 4.5 ऐअर रकबा कम करने का सेटिलमेन्ट को कोई अधिकार किसी प्रकार का प्राप्त नहीं है, और मौजूदा रेवन्यू रिकोर्ड में उक्त खसरा नम्बर गलत है अवनीसियोबोइड है दुरुस्त फरमाये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नम्बर 03 में दर्ज किया है कि मौके पर वादिया पूर्वानुसार 14 बिस्वा रकबा पर काबिज एवं दखील है तथा खेत की चारो तरफ से पुख्ता बाउण्ड्रीवाल बनवा रही है। आस पास में वादिया की अन्य जमीनें होने के कारण कृषि विकासार्थ एक छोटा सा मकान भी वादिया द्वारा उक्त खसरा नम्बर में बना रखा है। जिसे वादिया चारा फूंस रखने कृषि जिन्स रखने, पशुधन के रख रखाव के लिए बना दिया है और मौके पर रकबा पूर्वानुसार उक्त खेत में ही मौजूद है। मगर रेवन्यू रिकोर्ड में रकबा कम कर दिया जिसकी जानकारी वादिया को आज दिन तक उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिये समस्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए दावा दायर करना लाजिमी हुआ है।

वाद पत्र के मद नम्बर 04 में दर्ज किया है कि वादिया के साबिक ख0नं0 875 रकबा 14 बिस्वा की 4.5 ऐअर जमीन सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा आराजी खा०नं० 1195 रकबा 14.25 है0 सरकारी जमीन में शामिल कर दी है। इसलिए उक्त ख0नम्बर में से 5 ऐअर जमीन कम की जाकर वादिया की खातेदारी के खसरा नम्बर 1284 का रकबा 13 ऐअर के स्थान पर 17 ऐअर तरमीम फरमाया जाना आवश्यक है, उक्त दुरूस्ती महज जमाबंदी में की जानी है। मौके पर वादिया का रकबा पूर्वानुसार मौजूद है। इस प्रकार सरकारी जमीन ख०नं० 1195 का रकबा 14.25 हेक्टर के स्थान पर 5 ऐअर कम यानि 14.20 हेक्टर दर्ज रिकोर्ड फरमाया जाना न्याय संगत है।

वाद पत्र के मद नम्बर 05 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 13.07.2015 को सुबह करीब 10 बजे का है कि वादिया के खेत पर हल्का पटवारी व गिरदावरजी फीता आदि खेत नापने का सामान लेकर आए, और कहने लगे, कि आपकी खातेदारी कम व कब्जा का ज्यादा जमीन पर है। पांच ऐअर जमीन नाप कर हम खाली करवाऐंगे। तुम्हारे खिलाफ गांव के कुछ लोगों ने शिकायत की है। वादिया द्वारा खेत नाप कर देख लेने की स्वीकृति हल्का गिरदावर जी को दी। रजिस्ट्री खरीद खेत व अन्य कागजात भी उन्हें बताएं तो उनके द्वारा सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा रिकोर्ड गलत बनाए जाने वाले तथ्य की जानकारी हुई, और वादिया को हिदायत दी, कि सक्षम अदालत में जा कर रिकोर्ड दुरूस्त करवा ले अन्यथा हमें मजबूरन तुम्हारी 5 ऐअर जमीन खाली करवानी पड़ेगी। इस प्रकार यदि प्रतिवादीगण सेटिलमेन्ट विभाग की गलती का बेजा लाभ उठाकर वादिया को बेदखल कर दिया, तो वादिया को अर्पूतनीय क्षति हो जावेगी । जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी भी पूरी नहीं हो सकेगी। इसलिए दावा दायर करना आवश्यक हुआ है। वाद पत्र के मद नम्बर 06 में दर्ज किया है कि बिनाय दावा दिनांक 13.07.2015 को हल्का पटवारी व हल्का गिरदावर जी द्वारा वादिया को मौजूदा रिकोर्ड दुरूस्त नहीं करवाने की स्थिति में 5 ऐअर जमीन खाली करने की धमकी देने से बमुकाम ग्राम पटोंदा तहसील हिण्डौन इस सम्मानीय अदालत के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नम्बर 07 में दर्ज किया है कि विनाय दावा निवास फरीकेन व स्थित भूमि विवादगस्त की दृष्टि से मुकदमा हाजा की सुनवाई व समाअत का अधिकार इस सम्मानीय अदालत को प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नम्बर 08 में दर्ज किया है कि मुकदमा हाजा राजस्थान टीनेन्सी ऐक्ट की धारा 88 व 188 सपठित धारा 136 राज. ले. रे. एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया गया है।

वाद पत्र के मद नम्बर 10 में दर्ज किया है कि मुकदमा हाजा अन्दर मियाद पेश है। प्रतिवादीगण दुरुस्ती इन्द्राज सेटिलमेन्ट विभाग की भूल सुधार बाबत पक्षकार प्रतिवादी बनाऐ है। दफा 80(2) जा. दी. की दर० अलग से पेश है। इसलिये दावा दायरी की इजाजत प्रदान किया जाना न्याय संगत है।

वाद पत्र के मद नम्बर 11 में दर्ज किया है कि वादिया निम्न इस्तदुआ की प्रार्थना करती है:–

वाद पत्र के मद नम्बर 11(क) में दर्ज किया है कि दावा वादिया खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि वादिया की खातिरदारी के साबिक ख०नं0 875 रकबा 14 बिस्वा के बराबर रकबा मौजूदा ख०नं० 1284 रकबा 13 ऐअर का दुरुस्त फरमाया जावे, खं0नं0 1284 रकबा 17 ऐअर व ख०नं० 1195 रकबा 14.25 हेक्टर स्थित ग्राम पटोंदा का रकबा 14. 20 हेक्टर दुरुस्त फरमाने की कृपा करे।

वाद पत्र के मद नम्बर 11(ख) में दर्ज किया है कि दावा वादिया खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर आराजी ख0नं0 1284 रकबा 17 ऐअर स्थित ग्राम पटोंदा तहसील हिण्डौन के रिकोर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने के बाबत दावा डिक्री फरमाने की कृपा करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 05.07.2017 को पेरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जबावदावा पेश कर जबावदावा के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि मद नं01 इस हद तक स्वीकार है कि संलग्न पत्रावली नकल में ग्राम पटौंदा साबिक खसरा नम्बर 875 रकबा 14 बिस्वा जमाबन्दी गत सम्बत् 2035–38 में हीरालाल पुत्र पीतम जाट के खातेदारी रिकार्ड थी अन्य तथ्य स्वीकार नहीं हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबावदावा के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि मद नं02 इस हद तक स्वीकार है कि संलग्न नकल मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.13 है0 गत खसरा नम्बर 875 रकबा 14 बिस्वा से बना है, अन्य तथ्य स्वीकार नहीं हैं।

जबावदावा के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि मद नं0 3 लाइल्मी अस्वीकार है क्योंकि वादी द्वारा भूमि 26 वर्ष पूर्व कय की गई, उसी समय भू–प्रबन्ध का हाल रिकार्ड अमल आ चुका था। भू–प्रबन्ध द्वारा कब्जे के आधार पर ही हाल खसरा नम्बर कायम कर रकबा तहरीर किया गया।

जबावदावा के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि मद नं0 4 लाइल्मी अस्वीकार है क्योंकि पत्रावली में मौका कमिश्नर रिपोर्ट संलग्न नहीं है, वादी द्वारा हाल खसरा नम्बर 1195 का गत रिकार्ड संलग्न पत्रावली नहीं किया है।

जबावदावा के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि मद नं0 5 लाइल्मी अस्वीकार है।

जबावदावा के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि मद नं0 6 अस्वीकार है।

जबावदावा के मद नं0 7, 8, 9 में दर्ज किया है कि मद नं0 7, 8, 9 कानूनी है।

जबावदावा के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि मद नं0 10 अस्वीकार है क्योंकि भू–प्रबन्ध का हाल रिकार्ड 26 वर्ष पूर्व ही अमल आ चुका था एवं वादी ने भूमि 26 वर्ष पूर्व ही कय होना बताया गया। अतः दावा अन्दर म्याद नहीं है।

जबावदावा के मद नं0 11 में दर्ज किया है कि मद नं0 11 के क,ख,ग माननीय न्यायालय से है।

अन्य तथ्य

जबावदावा के मद नं0 12 में दर्ज किया है कि वादी द्वारा भूमि 26 वर्ष पूर्व कय की गई तथा भू–प्रबन्ध का हाल रिकार्ड 26 वर्ष पूर्व अमल आ चुका। भू–प्रबन्ध द्वारा कब्जे के आधार पर ही खसरा नम्बर का रकबा तहरीर किया गया। न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर रिपोर्ट लिया जाना न्यायोचित है।

वकील वादीया ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2069–72, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नक्शा ट्रेस साबिक नम्बरान, नकल जमाबन्दी सं0 2035–38, नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान, नकल जमाबन्दी सं0 2069–72 पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में वादीया ने स्वंय का शपथ पत्र पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी ( करौली )

इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं आई.एल.आर दिनांक 08.07.2024, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.04.1990 उनवानी हीरालाल पुत्र पीतम जाति जाट निवासी पटौंदा तहसील हिण्डौन– विक्रेता प्रथमपक्ष बहक श्रीमती गीतादेवी धर्मपत्नि श्री रमेश चन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी पटौंदा तहसील हिण्डौन– केता द्वितीयपक्ष के हक में खसरा नम्बर 875 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम पटौंदा तहसील हिण्डौन का विक्रय किया गया है, नकल जमाबन्दी सं0 2069–72 पेश की है।

वकील वादीया उपस्थित। वकील वादीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीया ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीया का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीया की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2069–72 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.13 है0, 1286 रकबा 0.23 है0, 1287 रकबा 0.15 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील हिण्डौन की खातेदारी श्रीमती गीतादेवी धर्मपत्नि रमेशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 875 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम पटौंदा से हाल खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील हिण्डौन कायम किया गया है।

नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 875 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम पटौंदा तहसील हिण्डौन की खातेदारी हीरालाल पुत्र पीतम जाति जाट निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2069–72 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1195 रकबा 14.25 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील हिण्डौन की खातेदारी चरागाह राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज रिकार्ड है।

इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं आई.एल.आर दिनांक 08.07.2024 में अंकित किया है कि मुताविक राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.13 है0 ग्राम पटौंदा तहसील हिण्डौन गीतादेवी पत्नि रमेश चन्द जाति ब्राहम्ण सा0ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है। संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र फोटो प्रति साबिक खसरा नम्बर 875 रकबा 14 बिस्वा का विक्रय हीरालाल पुत्र पीतम जाति जाट द्वारा गीतादेवी पत्नि रमेश चन्द ब्राहम्ण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

को किया गया है। मुताविक मिलान क्षेत्रफल नवीन खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.13 है0 का साबिक खसरा नम्बर 875 रकबा 14 बिस्वा है। मौके पर वादी गीतादेवी का खसरा नम्बर 1284 में रकबा 0.16 है0 पर कब्जा है। मुताविक राजस्व रिकार्ड हाल खसरा नम्बर 1195 रकबा 14.25 है0 चारागाह दर्ज है, जिसका साबिक खसरा नम्बर 790/1 मिन रकबा 40 बीघा, 729, 874/1021 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा दर्ज है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.04.1990 उनवानी हीरालाल पुत्र पीतम जाति जाट निवासी पटौंदा तहसील हिण्डौन– विक्रेता प्रथमपक्ष बहक श्रीमती गीतादेवी धर्मपत्नि श्री रमेश चन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी पटौंदा तहसील हिण्डौन– क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में खसरा नम्बर 875 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम पटौंदा तहसील हिण्डौन का विक्रय किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादीया ने अपने वाद पत्र में रिलीफ चाही गई है कि साबिक खसरा नम्बर 875 रकबा 14 बिस्वा के बराबर रकबा मौजूदा खसरा नम्बर 1284 रकबा 13 ऐयर का दुरूस्त फरमाया जाकर खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.17 है0 व खसरा नम्बर 1195 रकबा 14.25 है0 स्थित ग्राम पटौंदा का रकबा 14.20 है0 दुरूस्त कराने का निवेदन किया है। वादी के द्वारा पेश किये गये साबिक व हाल नक्शा ट्रेस के मिलान करने पर भी वादीया की भूमि साबिक खसरा नम्बर 875 रकबा 14 बिस्वा का कमी रकबा 0.04 है0 भाग हाल खसरा नम्बर 1195 में होना साबित नहीं है। वादीया के द्वारा जिस बक्त साबिक खसरा नम्बर 875 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम पटौंदा की रजिस्ट्री कराई थी उस वक्त नवीन खसरा नम्बर 1284 अस्तित्व में आ गया था। इस प्रकार वादीया को हाल खसरा नम्बर 1284 का ही विक्रय पत्र रजिस्टर्ड करवाना चाहिए था। सेटिलमेन्ट विभाग के द्वारा मौके एवं रिकार्ड का मिलान करने के उपरान्त ही नवीन राजस्व रिकार्ड कायम किया जाना सही प्रतीत होता है। वादीया ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह हो सके कि साबिक खसरा नम्बर 875 रकबा 14 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम पटौंदा कायम किया गया है उसका शेष रकबा 0.04 है0 हाल खसरा नम्बर 1195 में सेटिलमेन्ट विभाग के द्वारा मिला दिया गया हो। वादीया के द्वारा ग्राम पटौंदा की कुल चारागाह भूमि सेटिलमेन्ट विभाग से पूर्व कितनी थी तथा सेटिलमेन्ट के बाद में कितनी हैं। इस बाबत् भी कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि सेटिलमेन्ट विभाग ने साबिक के मुकाबले हाल रकबा चारागाह का बढा दिया हो और चारागाह भूमि में से वादीया को रकबा 0.04 है0 दिया जाना उचित हो। इस प्रकार वादीया का दावा बाबत् इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों के अभाव में खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक (दुरूस्ती इन्द्राज) एवं स्थायी निषेधाज्ञा आराजी खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.13 है0, 1195 रकबा 14.25 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/8/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/8/25

( हेमराज गुर्जर )
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)